printing press was shifted from Head Quarter, Directorate of Standardisation, to Defence Standardisation Cell at Ashok Vihar without taking their option and without the knowledge of cadre controlling authority;

(b) if so, whether it is a fact that working schedule of this office was changed from five days to six days' week without permission of the Ministry of Defence;

(c) whether it is also a fact that there is inadequate security for equipment and documents; and

(d) if so, what action has been taken against the officer who issued such orders and what remedial action is proposed to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL) : (a) to (d) Due to acute shortage of accommodation in the Sena Bhavan area, the Reprographic (Printing) Unit of the Directorate of Standardisation together with four members of the staff attached to it were shifted from 'J' Block near Sena Bhavan, to the Defence Standardisation Cell at Ashok Vihar in May, 1987. As the shifting of the office was within the municipal limits of Delhi, ascertaining of the option from the staff was not considered necessary. The cadre controlling authority of the concerned staff viz. the Chief Administrative Officer (CAO) was suitably intimated about this movement.

The Defence Standardisation Cell at Ashok Vihar works on a 6th day week pattern. Accordingly, the working hours of Printing Unit which was placed under the administrative control of the Officer Incharge, Defence Standardisation Cell, Ashok Vihar, New Delhi, was also changed to 6 day week pattern. The working schedule has been adopted for reasons of administrative uniformity without exceeding the limit of 40 hours per week.

Reasonable precautions are being taken to ensure the security of equipments and documents in the building.

महासागर विकास विभाग में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1358. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुईं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) विभाग के संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिक्स और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्तमान वर्ष के दौरान दो बैठकें हुई हैं। विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में एक गैर-सरकारी सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए गए हैं।

(ख) महासागर विकास विभाग के अधीन कोई संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम आदि नहीं हैं। इस विभाग में एक अनुभाग को शत-प्रतिशत हिन्दी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। समुद्र विज्ञान अपेक्षतया एक नया विज्ञान है। इसलिए हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य सुनिश्चित करना सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, विभाग में हिन्दी-कार्य को बढ़ाने की हर कोशिश की जा रही है।

(ग) इस विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जा रहा है।